संख्या : 754 / आठ–1–08–83 विविध / 05

प्रेषक,

श्री शंकर अग्रवाल

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त**

   उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास पारिषद

   लखनऊ।

2. **उपाध्यक्ष**

   समस्त विकास प्राधिकरण

   उत्तर प्रदेश।

3. **अध्यक्ष,**

   समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,

   उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 लखनऊः दिनांक 04 फरवरी, 2008

विषय : पर्यटन उद्योग में पूँजी निवेश को आकर्षित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अवगत कराना है कि पर्यटन विभाग के अंतर्गत होटल नीति–2006 लागू की गयी थी। उक्त होटल नीति के सभी पक्षों का अध्ययन करने और कमी पाये जाने पर यथा आवश्यक संशोधन करने अथवा नवीन होटल नीति गठित करने पर सुझाव देने हेतु अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। समिति की दिनांक 28.01.08 को सम्पन्न बैठक में विचार–विमर्श के उपरान्त होटल नीति–2006 को समाप्त करने की संस्तुति करते निम्नलिखित सुझाव दिये गयेः–

1. होटल के विकास के लिए पूर्व में विभिन्न विभागों द्वारा सुविधायें प्रदान की गयी हैं, जिसमें सुख–साधन कर में छूट भी है, वह सुविधायें यथावत लागू रहें।
2. आवास विभाग के विकास प्राधिकरण एवं औद्योगिक, विकास प्राधिकरण अपने–अपने क्षेत्रों में पर्यटकों की दृष्टि से होटलों की मांग को देखते हुए भूमि चिन्हित करेंगे तथा अपने–अपने नियमों के अंतर्गत उसका निस्तारण होटल व्यवसाय हेतु सुनिश्चित करेंगे।

3. यदि किसी विकास प्राधिकरण में निर्धारित क्षेत्र में निर्धारित भू–उपयोग के अंतर्गत होटल खोलने की सुविधा नहीं है, तो वह विकास प्राधिकरण अपने स्तर से परीक्षण कर भू–उपयोग में परिवर्तन की नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

4. राष्ट्रकुल खेल, 2010 नई दिल्ली में होने वाले हैं, जिसके संदर्भ में भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 10,000 अतिरिक्त कमरों की अपेक्षा की गयी हैं, जिसमें काफी अधिक होटलों की आवश्यकता बतायी गयी है। इसकी तात्कालिकता को दृष्टिगत रखते ुए नोएडा, ग्रेटर नोएडा एवं गाजियाबाद विकास प्राधिकरण शीध्रातिशीघ्र होटलों के लिए भूमि का चिन्हांकन कर उनका नियमानुसार आवंटन सुनिश्चित करायें, जिससे राष्ट्रकुल खेल के समय पर्यटकों हेतु पर्याप्त आवासीय व्यवस्था उपलब्ध हो सके।

5. इसके अतिरिक्त गाजियाबाद विकास प्राधिकरण अपने नियमों के अनुसार अपने क्षेत्र में एक सप्ताह के अंतर्गत होटलों के लिए भूमि का चिन्हांकन कर उनके नियमानुसार आवंटन की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दें, जिससे कि शीघ्रातिशीघ्र होटलों का निर्माण प्रारम्भ हो सके और वर्ष 2010 तक भारत सरकार द्वारा वांछित राष्ट्रकुल खेलों के समय पर्यटकों हेतु पर्याप्त आवासीय व्यवस्था उपलब्ध हो सके।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या शासन को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

शंकर अग्रवाल
प्रमुख सचिव

संख्या : 754(1)/आठ–1–08 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राम निरंजन
अनुसचिव